



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04082026-275095
CG-MH-E-04082026-275095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 629]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 A के अंतर्गत

सा.का.नि. 691(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 A के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (इसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में नायगांव और वसई (कि.मी. 48.958 ते 50.200) के बीच मोजे उमेळमान पूर्व मे एमयूटीपी-३ए प्रोजेक्ट के तहत वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन में गोरेगाव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का 7.08 कि.मी. तक विस्तार और स्टेबलिंग लाईन की व्यवस्था का निर्माण, की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी और प्रांत अधिकारी वसई, तालुका वसई पालघर, जिला, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णीत करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में नायगांव और वसई (कि.मी. 48.958 ते 50.200) के बीच मोजे उमेळमान पूर्व मे एमयूटीपी-३ए प्रोजेक्ट के तहत वेस्टर्न रेल्वे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन में गोरेगाव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का 7.08 कि.मी. तक विस्तार और स्टेबलिंग लाईन की व्यवस्था का निर्माण, की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के विशेष रेल परियोजना हेतु वसई तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम.सं.	जिला	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	संपादित क्षेत्रफल (चौ.मी.)
1	पालघर	वसई	उमेळमान	101/अ/1	51513 चौ. मी.
2				101/अ/2	
3				101/ब	

[फा. सं. ई -364842-06]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th July, 2026

under Section 20 A of the Railway Act, 1989

G.S.R. 691(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project under the MUDP-3A project-specifically involving the 7.08 km extension of the Harbour line from Goregaon to Borivali and the provision of Stabling Line under the Mumbai Central Division of Western Railway- located at Moje Umelman (East) between Naigaon and Vasai Station (Km. 48.958 to 50.200) in the Palghar District of Maharashtra State, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority and Prant Officer Vasai, Taluka Vasai, District Palghar, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and

may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project under the MUTP-3A project-specifically involving the 7.08 km extension of the Harbour line from Goregaon to Borivali and the provision of Stabling Line under the Mumbai Central Division of Western Railway- located at Moje Umelman (East) between Naigaon and Vasai Station (Km. 48.958 to 50.200) in District Palghar in the State of Maharashtra.

Sl. No.	District	Taluka	Village	Survey No.	Area of Land to be Acquired in (Sqm)
1	Palghar	Vasai	Umelman	101/A/1	51513 Sq. M.
2				101/A/2	
3				101/B	

[F. No. E-364842-06]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction)- I